

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु आवश्यक धनराशि

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० द्वारा फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत फतेहपुर-बबेरु-अर्तारा-नैरनी-करतल मार्ग (एस.एच.-71)के किमी. संख्या 23 (चैनेज - 22.038 से 22.098) दांयी पटरी ग्राम-देवलान, परगना-गाजीपुर, तहसील-सदर, जनपद-फतेहपुर की गाटा संख्या 28क प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में प्रभावित 0.276 हे० के स्थान पर 276 पौधों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आमौली रेंज के अन्तर्गत लहुरी सराय-चिल्ली मार्ग के किमी० 1.5 से 3.00 के मध्य में दांयी पटरी में वन भूमि का चयन किया गया है। जिसमें कंजी, नीम, अर्जुन, प्रासोपिस आदि पौधों का रोपण प्रस्तावित है।

क्षतिपूरक वनीकरण हेतु (प्रथम व द्वितीय वर्ष) अग्रिम मृदा व वृक्षारोपण कार्य मुख्य वन संरक्षक सामाजिक वानिकी उ०प्र० के पत्र 223/15-1(सिलिंग दर) दिनांक 14.08.2017 द्वारा जारी सिलिंग दर के अनुसार तथा (तृतीय वर्ष से द्वादशम वर्ष तक) अनुरक्षण प्रथम वर्ष से अनुरक्षण दशम वर्ष तक मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ०प्र० कैम्पा के पत्रांक 403 दिनांक 14 सितम्बर द्वारा जारी सिलिंग दर के अनुसार प्राक्कलन तैयार किया गया है जो निम्नानुसार प्रस्तुत है -

श्रम दर - ₹० 201.00								
क्र०सं०	वर्ष	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (₹० में) श्रम दर ₹० 175.00 प्रति मानव दिवस के अनुसार	श्रम दर में 14.86 प्रतिशत वृद्धि के पश्चात दर (₹० में०)	तृतीय वर्ष एवं आगामी वर्षों में 10 प्रतिशत वृद्धि करने पर दर (₹० में)	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रथम वर्ष	अग्रिम मृदा कार्य	प्रति हे०	0.442	55900.00	64207.00	0.00	28399.25
2	द्वितीय वर्ष	वृक्षारोपण कार्य	प्रति हे०	0.442	110630.00	127070.00	0.00	56204.04
3	तृतीय वर्ष	प्रथम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.442	39350.00	45197.00	49717.00	21990.21
4	चतुर्थ वर्ष	द्वितीय वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.442	31052.00	35666.00	39233.00	17353.06
5	पंचम वर्ष	तृतीय वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.442	17320.00	19894.00	21883.00	9679.02
6	षष्ठम वर्ष	चतुर्थ वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.442	5829.00	6695.00	7365.00	3257.60
7	सप्तम वर्ष	पंचम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.442	5829.00	6695.00	7365.00	3257.60
8	अष्टम वर्ष	षष्ठम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.442	5192.00	5964.00	6560.00	2901.54
9	नवम वर्ष	सप्तम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.442	5192.00	5964.00	6560.00	2901.54
10	दशम वर्ष	अष्टम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.442	5192.00	5964.00	6560.00	2901.54
11	एकादशम वर्ष	नवम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.442	5192.00	5964.00	6560.00	2901.54
12	द्वादशम वर्ष	दशम वर्ष अनुरक्षण	प्रति हे०	0.442	5192.00	5964.00	6560.00	2901.54
योग								154648.46
अर्थात्								154648.00

नोट :- तृतीय वर्ष (अनुरक्ष प्रथम वर्ष से) द्वादशम वर्ष (अनुरक्षण दशम वर्ष) तक की धनराशि में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढोत्तरी की गयी है।

प्रमानीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
सी०वी०वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर